भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2193
उत्तर देने की तारीख : 04.07.2019

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में रोजगार

2193. श्री रवि किशनः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) में कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य निर्धरित किया गया है; और
(ख) इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितना समय लगने की संभावना है और इसके परिणामस्वरूप एमएसएमई के कितना प्रभावित होने की आशंका है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
(श्री नितिन गडकरी)

(क) और (ख) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) कार्यान्वित करता है जोकि एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है तथा जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की सहायता कर गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर सृजित करना है। इस कार्यक्रम के तहत, 25 लाख रुपये तक की परियोजना लागत का 25% से 35% सब्सिडी मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान योजना के तहत लक्ष्य और उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	मार्जिन मनी सब्सिडी वार्षिक लक्ष्य (संशोधित अनुमान) (रुपये लाख में)	उपयोग में लाई गई मार्जिन मनी सब्सिडी# (रुपये लाख में)	सहायता प्रदत्त परियोजनाओं की संख्या	सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)
2017-18	117000	131240.07	48398	387184
2018-19	196880	207000.54	73427	587416

#पिछले वर्ष की अनुप्रयुक्त शेष राशि सहित।

इस योजना के तहत, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, 73241 परियोजनाओं को सहायता देने का अनंतिम लक्ष्य रखा गया है जिससे 585927 लोगों का अनुमानित रोजगार सृजित होगा।

****